भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1305

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

सोमवार, 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

केंद्रीय कौशल-विकास संस्थान

1305. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य, विशेषकर तिरुनेलवेली जिले में चल रहे या सेवा दे रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) जैसे केंद्रीय कौशल विकास संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की है;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तिरुनेलवेली में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन (एनएपी) जैसी केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत उक्त संस्थानों से प्रशिक्षित, प्रमाणित और नियोजित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने दक्षिणी तमिलनाडु में उक्त केंद्रीय कौशल कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षकों की उपलब्धता, उपकरणों के आधुनिकीकरण या औद्योगिक आदान-प्रदान से संबंधित चुनौतियों पर ध्यान दिया है, जो इनकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तिरुनेलवेली जिले में केंद्रीय कौशल विकास कार्यक्रमों की पहल के तहत अवसंरचना को मजबूत करने, उद्योग संपर्क बढ़ाने और नियोजन संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः-कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित और भविष्य के लिए तैयार करना है।

कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव और प्रभावकारिता की समीक्षा उनके तृतीय-पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से की जाती है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की योजनाओं के मूल्यांकन में उनके सकारात्मक परिणामों को स्वीकार किया गया है और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में उनकी सफलता का उल्लेख किया गया है, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

पीएमकेवीवाई: एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया था और इस अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गए और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) घटक के तहत अभिविन्यस्त 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने अप्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

जेएसएस: वर्ष 2020 में जेएसएस योजना पर किए गए मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि प्रशिक्षण ने लाभार्थियों की घरेलू आय लगभग दोगुनी कर दी, **जिसमें महिलाओं (79%) और ग्रामीण समुदायों (50.5%) की मज़बूत भागीदारी रही। अध्ययन में आजीविका में उल्लेखनीय** सुधार दर्ज किए गए, जिनमें 73.4% प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर रोज़गार, 89.1% के लिए उच्च आय और 85.7% के लिए प्रभावी लाभार्थी जुटाना शामिल है। इसमें यह भी बताया गया कि 77% प्रशिक्षु नए व्यवसायों में चले गए, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप स्व-रोज़गार पर इस योजना के ज़ोरदार फोकस को दर्शाता है।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (वेतन+ स्व-रोज़गार, जिनमें से 6.7% स्व-नियोजित हैं)।

एनएपीएस: 2021 में एनएपीएस के बारे में किए गए तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि इस योजना ने संरचित कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रदान करके और विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाकर युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार किया है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में अंतरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत पिछले तीन वित्त-वर्षों और चालू वर्ष के लिए तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अद्यतन प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई		**एनएपीएस**	
प्रशिक्षित उम्मीदवार	प्रमाणित उम्मीदवार	नियोजित शिक्षु	प्रमाणित शिक्षु
3293	2517	2915	799

(ग) और (घ): सरकार ने तमिलनाडु सहित भारत में केंद्रीय कौशल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहे प्रशिक्षक की उपलब्धता, उपकरण आधुनिकीकरण और उद्योग मेल-जोल से संबंधित चुनौतियों के बारे में निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

i. सरकार देश भर में, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, अधिक प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित कर प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है तथा कौशल को स्कूल और कॉलेज इको सिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए कौशल हब जैसी पहल शुरू कर रही है।
ii. प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया के भाग के रूप में पर्याप्त और आधुनिक उपकरणों की उपलब्ध्ता के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का मूल्यांकन किया जाता है।
iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है जो व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम एवं मानक स्थापित करता है।
iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बोडीज़ से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।
v. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए सामान्य लागत मानदंड स्थापित किए हैं। लगभग 20 अन्य मंत्रालय/विभाग भी कौशल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं।
vi. एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करने का दायित्व सौंपा गया है।
vii. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को क्रियान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।
viii. एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण तथा शिक्षुता कार्यक्रमों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ सहभागिता बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता है।
ix. भारत सरकार ने कुशल जनशक्ति की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल विकास में 7 देशों (अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, कतर, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
x. डीजीटी ने राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने और नए युग के पाठ्यक्रमों में कभी भी, कहीं भी अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस),

माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोडेस्क और मेटा जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi. एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग की मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों में सहयोग और समन्वय करते हैं।

xii. पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भविष्य के लिए तैयार जॉब रोल्स को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं। सीटीएस के अंतर्गत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्योन्मुखी जॉब रोल्स की माँग को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

xiii. स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल को कौशल, रोजगार और उद्यमिता इको सिस्टम के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में स्थापित किया गया है।

*****